न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश::

क्रमांकः-27/अ-19(3)/2017-18/ 4738 बैतूल दिनांक17 /4/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक:- 48/अ-19(3)/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 3-5-2017 द्वारा, शासकीय उच्च्तर माध्यकिम शाला पाटाखेड़ा के भवन निर्माण हेतु मौजा पाटाखेड़ा तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 465 रकबा 0.405 हेक्टेयर में से 0.200 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन आदिवासी विकास विभाग (सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल) को हस्तांतरित की गई है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल के पत्र क्रमांकः-निर्माण/2017-18/4/1122, दिनांक 02-02-2018 द्वारा, अवगत कराया गया है कि, उक्त आवंटित भूमि पर माध्यमिक शाला भवन एवं प्रधानपाठक कक्ष निर्मित होने के कारण भवन निर्माण कराया जाना संभव नहीं है। अत: विभागीय तकनीकी अधिकारियो एवं हल्का पटवारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करके मौजा टाढर स्थित खसरा नंबर 367 रकबा 15.297 हेक्टेयर में से 1.**000** हेक्टेयर भूमि का चयन किया जाकर, उक्त चयनित भूमि उ. मा. विद्यालय पाटाखेड़ा के भवन निर्माण हेतु आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार भूमि हस्तांतरित किए जाने के संबंध में तहसीलदार चिचोली एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल से प्रतिवेदन आहूत किया गया। प्रतिवेदक अधिकारियो द्वारा उक्त संबंध में जाँच उपरांत उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः-

(1)- मौजा टाढर तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 367 रकबा 15.297 हेक्टेयर भूमि पहाड़ मद में दर्ज है।

(2)- मौजा टाढर तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 367 रकबा 15.297 हेक्टेयर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु हस्तांतरित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित तिथी तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(3)- ग्राम पंचायत पाटाखेड़ा जनपद पंचायत चिचोली से ठहराव प्रस्ताव आहूत किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत पाटाखेड़ा के पत्र दिनांक 24-3-2018 द्वारा, ग्राम सभा का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। जिसके अनुसार दिनांक 21-3-2018 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया है कि, हायर सेकेण्डरी स्कूल पाटाखेड़ा के भवन हेतु ग्राम टाढर मे चयनित भूमि ग्राम पंचायत पाटाखेड़ा मुख्यालय से 04 कि. मी. दूरी पर है,वहॉ क्रेशर मशीन होने के कारण धूल एवं ध्वनि का प्रदूषण है, जिसके कारण ग्रामीणो की सहमति नहीं बन पा रही है। ग्रामीणो की सहमति वर्तमान हाईस्कूल भवन के पास ही बन रहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत के 05 मोहल्ले वहाँ से पास में है, एवं आस पास की 02 पंचायत आलमपुर व धनियाजाम की दूरी भी कम है। अतएव ग्रामीणो की मंशा के अनुरूप उक्त भवन का निर्माण कराया जाए।

(4)- तहसीलदार चिचोली द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्रामसभा द्वारा जिस क्रेशर मशीन को लेकर आपत्ति की गई है, वह क्रेशर प्लांट चयनित भूमि से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित है, क्रेशर प्लांट आधुनिक तकनीक का होने के कारण तेज ध्वनि नहीं होती है, क्रेशर चलने पर उसकी आवाज आधा किलोमीटर तक सुनाई नहीं देती है। क्रेशर से निकलने वाली धूल भी इतनी दूरी तक नहीं जाती है। ग्राम पाटाखेड़ा में जिस स्थान पर पंचायत उच्चतर माध्यमिक शाला भवन का निर्माण करवाना चाहती है, वह स्थान उच्चतर माध्यमिक शाला के भवन एवं खेल मैदान हेतु पर्याप्त नहीं है। अतएव हाईस्कूल भवन व खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि की अनिवार्यता एवं उपरोक्त तथ्यो के आधार पर ग्राम सभा की आपत्ति आधारहीन होने से मान्य योग्य नहीं पाई जाने के कारण मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 85 के तहत ग्राम सभा की आपत्ति अमान्य की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा मौजा टाढर तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर खसरा नंबर 367 रकबा 15.297 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 1.000 हेक्टेयर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु हस्तांतरित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- म0प्र0शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात-नजूल/99 दिनांक 27-1-2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक -7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेष क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड- चार -एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणो के निराकरण करने एवं मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओ के प्रकरणो का निराकरण करने हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार चिचोली व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के प्रतिवेदन/ अनुशंसा के आधार पर, इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक:- 48/अ-19(3)/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 3-5-2017 द्वारा, आवेदक विभाग को हस्तांतरित की गई भूमि पूर्ववत् शासन के पक्ष में वापस लेकर, मौजा टाढर तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 367 रकबा 15.297 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 1.000 हेक्टेयर भूमि, (जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है) को आबादी घोषित करते हुए मध्यप्रदेश शासन आदिवासी विकास विभाग (सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल) को शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला पाटाखेड़ा के भवन निर्माण प्रयोजन हेतु निम्नलिखत शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती है।

(1)- हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगा।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला-बैतूल

पृ0क्र0: 27 /अ-19(3)/2017-18/ 4738 बैतूल दिनांक 17/4/2018

प्रतिलिपिः-

1- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल।

2- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।

3- तहसीलदार चिचोली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व अभिलेख मे यथाआवश्यक संशोधन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिला-बैतूल
अपर कलेक्टर
बैतूल

20/04/2018